ग्रेटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण,

169,चितवन एस्टेट, सेक्टर–गामा, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्धनगर, 201310

पत्रांकःनियो0 / पी0ओ0–50 / 2016 / 324
दिनांक–18 / 04 / 2016

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण बोर्ड की 104वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या–104 / 16 दिनांक 14.03.2016 में कृषकों को दिये जाने वाले आबादी विस्तार के भूखण्डों पर भू–विभाग के अनुमोदनोपरान्त कृषकों की सहमति के आधार पर उपविभाजन/आमेलन के संबंध में निम्न नीति का निर्धारण अनुमोदित किया गया है :–

- **श्रेणी–I:-** *आबादी विस्तार के भूखण्डो का उप–विभाजन जिनकी पात्रता का निर्धारण नहीं हुआ हैः–*

1. यदि कृषक की पात्रता भू–विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है तो उसके सम्बन्ध में कृषक के आवेदन पर कार्यवाही भूलेख विभाग द्वारा की जायेगी।
2. कृषक द्वारा अपने बालिग वारिसों के संख्या अनुसार यदि उपविभाजन का आवेदन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में भूविभाग द्वारा आवेदन की जॉच बालिग वारिसों की संख्या के विधि अनुसार निर्धारित कर वारिसों के नाम पर केवल मूल कृषक की मृत्यू होने पर अन्यथा मूल कृषक के नाम पर ही भूखण्ड के उपविभाजित क्षेत्रफल हेतु संस्तुति की जायेगी।
3. उपविभाजित भूखण्ड 120 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। यदि नियोजन की दृष्टि से 120 वर्गमीटर से छोटे परन्तु 40 वर्गमीटर से बडे भूखण्ड उपविभाजित करना सम्भव हो तो इस शर्त के साथ अनुमन्यता दी जा सकेगी कि ऐसे कृषक को विकास शुल्क के रूप में सामान्य रूप से देय धनराशि 50 प्रतिशत भू–अर्जन की दर का दोगुना धनराशि अर्थात भू–अर्जन की दर से(वास्तविक लागत मूल्य) अथवा रूपया 465/–प्रति वर्ग मीटर जो प्रभावी हो उस दर पर विकास शुल्क देय होगा ऐसी धनराशि सहमति के साथ उपविभाजन की स्वीकृति से पूर्व जमा की जानी होगी।
4. 40 वर्गमीटर से छोटे भूखण्डों का नियोजन नहीं किया जायेगा, परन्तु ऐसी स्थिति मे यदि प्राधिकरण कोई मूल्य 40 वर्गमीटर से कम एरिया की पात्रता हेतु निर्धारित करता है तो वह कृषक धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी बन सकेगा।

- **श्रेणी– II:-** *आबादी विस्तार के भूखण्डों का उपविभाजन जिनकी पात्रता निर्धारित हो गयी है किन्तु नियोजन नहीं हुआ हैः–*

1. भू–विभाग से पात्रता की सूची प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर नियोजन विभाग द्वारा नोटिस बोर्ड पर सूची लगाते हुए 15 दिन के अन्दर उपविभाजन के आवेदन आमंत्रित किये जायेगे।
2. प्राप्त आवेदन के अनुसार नियोजन विभाग द्वारा उन कृषकों को उनके बालिग वारिस के आधार पर ही उपविभाजन जिस नाम से कृषक जिसकी पात्रता निर्धारित है उसके नाम पर ही उपविभाजन किया जायेगा। कृषक द्वारा अपने परिवार के व्यस्कों का साक्ष्य, फोटो आई0डी0, ग्राम प्रधान से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
3. किसी भी प्रकरण में उपविभाजन 4 से अधिक भाग में नहीं होगा तथा कोई भी भूखण्ड 120 वर्गमीटर से कम नहीं होगा। अन्यथा श्रेणी–1 के बिन्दु 2 के अनुरूप विकास शुल्क की पूर्ण देयता के साथ उपविभाजन की अनुमन्यता दी जा सकेगी ।

- **श्रेणी– III:-** *आबादी विस्तार के भूखण्डों का उपविभाजन जिनका नियोजन किया जा चुका हैः–*

1. यदि आबादी विस्तार के भूखण्ड नियोजित कर दिये गये है उस स्थिति में आवेदक द्वारा नियोजन विभाग में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।